कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 134 /11–सी–FP/UP/Trans/44753/2020, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 17 ,2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग के अंतर्गत 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–1085/81–2–2023–800(04)/2023, दिनांक 24.05.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मिर्जापुर का पत्रांक–186/मी0क्षे0/33, दिनांक 12.07.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मिर्जापुर के उपरोक्त पत्रांक–186/मी0क्षे0/33, दिनांक 12.07.2023 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयॉकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 134 /11–सी–FP/UP/Trans/44753/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मिर्जापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलबल हाईडिल कालोनी, गाजीपुर।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 186 /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक जुलाई, 12 – 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन मे प्रभावित 7.5118 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के संबंध में ।

(प्रस्ताव संख्या–एफ.पी./यूपी/ट्रांस/44753/2020)

संदर्भः 1–उप सचिव, उत्तर प्रदेष शासन , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ का पत्र संख्या– 1085/81–2–2023–800(04)/2023 दि0 24.05.2023
2–आपका पत्र संख्या– 3745/11–सी लखनऊ दिनांक– 26.05.2023

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक–24.05.2023 द्वारा उल्लिखित कमियो का निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 61/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक 05.07.2023 **(छाया प्रति संलग्न)** द्वारा उल्लिखित कमियो का निराकरण कर निर्धारित टेबुलर फार्म मे निम्न प्रकार प्रेषित किया है :–

क्र0 सं0	उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ का पत्र संख्या– 1085/81–2–2023–800(04)/2023 दि0 24.05.2023	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जॉय।	इस शर्त के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
2	वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी मे0 अडानी है अथवा उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0 है ?	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0 है।
3	प्रश्नगत प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव है अथवा नहीं ?	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव नहीं है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

सख्या– /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा को उनके कार्यालय पत्रांक–61/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 05.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 61 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–05-07-2023.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118हे0 अरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–एफपी/यूपी/ट्रांस/44753 /2020)

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या–1085/81–2– 2023–800(04)/2023, दिनांक–24.05.2023 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पृष्ठांकन संख्या–3745/11–सी दिनांक–26.05.2023, इस कार्यालय के पत्रांक–1926/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–06.03.2023, पत्रांक–2519/ ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–29.05.2023 तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन. लि0, गाजीपुर के कार्यालय के पत्रांक–324/वि0प्रे0खं0–गा0/ दिनांक–27.02.2023, पत्रांक– 912/वि0प्रे0खं0 –गा0/दिनांक–24.06.2023

महोदय,

अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर के कार्यालय के पत्रांक–324/वि0प्रे0खं0–गा0/ दिनांक–27.02.2023 द्वारा (400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन के) लीज नवीनीकरण का संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। जिसे इस कार्यालय के पत्रांक–1926/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–06.03.2023 द्वारा उचित माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया। उ0प्र0 शासन द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने पत्र संख्या–1085/81–2–2023–800(04)/2023 दिनांक–24.05.2023 द्वारा कमियों का उल्लेख करते हुए सूचना/अभिलेख उपलब्ध करानें का निर्देश दिया गया, जिसके क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा लागयी गयी आपत्तियों का निराकरण करनें हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–2519/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–29.05.2023 द्वारा प्रस्तावक विभाग से अनुरोध किया गया।

जिसके क्रम में प्रस्तावक विभाग (अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर) ने अपने कार्यालय के पत्रांक–912/वि0प्रे0ख0–गा0 दिनांक–24.06.2023 द्वारा निम्नलिखित आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया हैः–

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापित पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
2	वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी में0 अडानी है अथवा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 है ?	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 है।
3	प्रश्नगत प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव है अथवा नहीं ?	प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव नहीं है।

अतः उ0प्र0 शासन द्वारा लगायी गयी आपत्ति के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वांछित सूचना/अभिलेख की चार प्रतियां संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सूचना/अभिलेख की तीन प्रति उच्च स्तर पर प्रेषित करनें की कृपा करें।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पट्टा विलेख

यह पट्टा सन 1999 के अक्टूबर माह के 1 वे दिन तदनुसार शक संवत — ....के मास के ....दिन को श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (जिनको आगे चलकर 'पट्टादाता' कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा मेसर्स उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) पंजीकृत कार्यालय उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 शक्ति भवन 14 अशोक मार्ग लखनऊ उ0प्र0 226001 है. (जिसे आगे चल कर पट्टेदार' कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य मे लिखा गया।

चूंकि भारत सरकार/राज्य सरकार के आदेश संख्या जी.आई. 322/14-2-99-700(2) 97 दिनाक -01 अक्टूबर 1999 के द्वारा पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या 8B/04/1692/98/FC दिनाक- 08.03.1999 मे निहित शर्तो के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग, जिला सोनभद्र मे पट्टेदाता को 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 19.968 हे0 उक्त वन भूमि हस्तान्तरित करने एंव गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति दी है।

और चूंकि पट्टादाता अपने पत्र संख्या जी.आई. 322/14-2-99-700(2) 97 दिनाक -01 अक्टूबर 1999 के द्वारा उक्त प्रयोग हेतु 20 वर्षो के लिए दिनांक .... को पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था (जिसको एव तदपश्चात मूल पट्टा विलेख कहा गया है)

और चूंकि पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर इसमे उल्लिखित अनुसूची मे वर्णित 19.968 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि को शासनादेश संख्या जी.आई. 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक - 01 अक्टूबर 1999 के अनुसार पट्टेदार के नाम आगे अभिव्यक्त अधिकारो, निर्बन्धनो एवं विनिर्दिष्ट प्रसविदाओं तथा अनुबधो के अधीन पट्टेदार को 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु (जिसे एतद् पश्चात 'उक्त प्रयोजन' कहा गया है) 20 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर पट्टेदार को गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तान्तरित करने के लिए सहमत हुए है।

और चूंकि पट्टादाता अपने पत्र संख्या जी.आई. 322/14-2-99-700(2) 97 दिनाक - 01 अक्टूबर 1999 (जिसे एतदपश्चात् 'उक्त शासनादेश' कहा गया है) द्वारा पट्टाविलेख की अनुसूची मे उल्लिखित वनभूमि को 20 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तान्तरित करने के लिये एतदपश्चात अभिव्यक्त अधिकारो, निबन्धों एव प्रसविदाओ के अधीन सहमत हुए है।

और चूंकि पट्टादाता द्वारा इस पट्टा विलेख को निष्पादित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या. जी.आई. 322/14-2-99-700(2) 97 दिनाक - 01 अक्टूबर 1999 जारी किया है।

अतः उत्तर प्रदेश मे अपनी प्रवृति के सम्बन्ध मे ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी एक्ट, 1882 सपठित वन सरक्षण अधिनियम समय-समय पर यथा संशोधित के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि रू0 1855522.40 (रूपया अट्ठारह लाख पचपन हजार पॉच सौ बाईस एवं चालिस पैसे) मात्र के स्थान पर 19.968 हे0 गैर वन भूमि जनपद सोनभद्र मे तथा उक्त गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 855968.25 (रू0 आठ लाख पचपन हजार नौ सौ अड़सठ एवं पच्चीस पैसे मात्र) चेक सं0 751375 दिनांक 23.11.1998 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कैमुर वन्यजीव प्रभाग मिर्जापुर जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतद्द्वारा स्वीकार करता है तथा आगे आरक्षित भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट की प्राप्ति के फलस्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गई प्रसविदाओं को ध्यान मे रखकर पट्टादाता एतद्द्वारा 19.968 हे0 वन भूमि उसकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इससे सम्बद्ध अनुसूची मे दिया हुआ है तथा जो स्पष्टीकरण के लिये इस पट्टा विलेख से संलग्न मानचित्र मे हरा रंग से दर्शा दिया गया है (जिसे आगे 'वनभूमि' कहा जायेगा)

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

प्रतिलिपि सत्यापित
[signature] 24.6.2023
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ0 प्र0 पा0 ट्रा0 का0 लि0
गाजीपुर

Executive Engineer
Electricity Transmission Division-I
U.P. Power Transmission Corporation Ltd

Scanned with OKEN Scanner

सन् 2020 के जुलाई माह के 24 वें दिन से 20 वर्ष की

[illegible] के लिये पट्टेदार को पट्टे पर गैर वानिकी प्रयोग के लिये हस्तान्तरित करते है। इस आधिपत्य के उपलक्ष में 1999 से 2019 उक्त अवधि के लिये पट्टेदार समस्त कटौतियो को छोड़कर रूपया 185552.24(रू0–एक लाख पच्चासी हजार पॅाच सौ बावन एवं चौबिस पैसे) मात्र का वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन अथवा इसके पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ओबरा को भुगतान करेगा। उल्लेखनीय यह है कि पट्टेदार द्वारा एक वर्ष का वार्षिक किराया रूपया 185552.24(रू0–एक लाख पच्चासी हजार पॅाच सौ बावन एवं चौबिस पैसे) मात्र अग्रिम के रूप मे चेक संख्या 778319 दिनांक 30.11.1999 और चेक संख्या 763378 दिनाक 07.08.2000 को प्रभागीय वनाधिकारी वानिकी प्रभाग, ओबरा के कार्यालय मे जमा कर दिया गया है।

I – अतः पट्टेदार पट्टदाता से निम्न प्रसंविदा करता है:–

1. प्रश्नगत हस्तान्तरित वनभूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही होगा।
2. हस्तान्तरित की जाने वाली वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि पर प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।
3. वन विभाग के पक्ष मे अमल्दरामद की गयी गैरवनभूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तरगत संरक्षित/आरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
4. वनभूमि पर पारेषण लाईन की अधिकतम चौड़ाई 52 मीटर होगी।
5. [I] पारेषण लाईन मे तारों मे खिंचाव उत्पन्न करने वाले तारों /फेज के प्रत्येक कण्डक्टर के नीचे 3 मीटर चौड़ाई मे वन भूमि को साफ करने की अनुमति होगी ऐसी पट्टियों पर स्थिति पेड़ों को काटा जा सकता है किन्तु कार्य समाप्त होने पर ऐसे स्थानों पर पुनर्वनीकरण की अनुमति [illegible] पातन/शाखा छटायी [illegible] की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। पारेषण लाईन के रखरखाव हेतु एक बाहरी पट्टी रिक्त रखी जायेगी।

   [II] पारेषण लाईन की फेज चौड़ाई मे अनुरक्षण के समय विद्युत बाधा से बचने के लिए पेडो और कण्डक्टर के बीच कम से कम 5.5 मीटर का अन्तराल रखा जायेगा ताकि पारेषण लाईन का रखरखाव न्यूनतम रहे। उक्त हेतु आवश्यकतानुसार वृक्षो का पातन/शाखा छटायी किया जायेगा।

   [III] पर्वतीय क्षत्रों में पारेषण लाईन के निर्माण के सम्बन्ध में वृक्षो एव लाईन के बीच पर्याप्त दुरी होने पर वृक्षों का पातन किसी भी हाल मे नही किया जायेगा।
6. वनक्षेत्र मे कार्य करने वाले मजदुरों द्वारा किसी भी दशा में शिविर आदि नही लगाया जायेगा एंव मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वृक्षो को हानि न पहुँचाये इसलिए उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) उन्हे ईंधन की लकड़ी तथा ईंधन सामाग्री उपलब्ध करायेगा।
7. वनभूमि का उपयोग प्रस्ताव मे प्रस्तावित प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु नही किया जयेगा।
8. वनों एव सीमा के संरक्षण एव संवर्धन हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा समय समय पर लगाई जाने वाली शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रतिलिपि सत्यापित
24.6.2023

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
सोनभद्र

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ० प्र० पा० ट्रा० का० लि०
गाजीपुर

Executive Engineer
Electricity Transmission Division-I
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
Varanasi

Scanned with CamScanner

9. उ0प्र0 रा0 विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार एवं उनके नियंत्रणाधीन या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को हानि नही पहुँचायेगें और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर उ0प्र0 रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) द्वारा देय होगा।

10. उक्त वन भूमि उ0प्र0 रा0 वि0 परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) के उपयोग मे लीज अवधि के भीतर तब तक बनी रहेगी जब तक उ0प्र0 रा0 वि0 प0 (वर्तमान मे उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) को उसकी आवश्यकता रहेगी. यदि उ0प्र0 रा0 वि0 परिषद (वर्तमान मे उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो उ0प्र0 रा0 वि0 परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0)के लिए आवश्यक न रहे वन विभाग उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वापस प्राप्त हो जायेगी।

11. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत भूमि का निरिक्षण करने का अधिकार होगा।

12. चूंकि उ0प्र0 रा0 वि0 परिषद (वर्तमान मे उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 19.968 हे0 गैरवनभूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है अतः उनसे वन भूमि का मुल्य (प्रिमियम) नही लिया जायगा अपितु वर्तमान बाजार दर पर वनभूमि का मूल्य (प्रिमियम) जिलाधिकारी से निश्चित कराकर मूल्य का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रैन्ट वनभूमि हस्तान्तरण से पूर्व लिया जायेगा।

13. उ0प्र0 रा0 वि0प0 (वर्तमान मे उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुये पट्टा विलेख का आलेख प्रस्तुत किया जायेगा जिसे शासकीय हस्तान्तरण से विधीक्षित कराया जायेगा । ऐसे प्रत्येक पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय कन्वेयसिंग प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या 198/7-जी0सी0 89-3-89, दिनाक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक "0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-01 न्याय प्रशासन-501-सेवायें और सेवा फीस -01- की गई सेवाओं के लिए भुगतानों की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

किन्तु सदा प्रतिबन्ध यह कि यह विलेख इस शर्त पर निष्पादित किया जाता है कि अगर और जब कभी उपर्युक्त किराये अथवा उसके किसी निश्चित भाग को निश्चित तिथि के पश्चात् एक मास तक भुगतान से होगा, चाहे वह विधिक मांगा गया हो या न मगा गया हो अथवा यदि पट्टे मे वर्णित प्रसविदाओं में से किसी एक को अथवा अधिक को पट्टेदार भंग करेगा अथवा उसका पालन न करेंगा, तब और ऐसे किसी दशा मे पट्टादाता भले ही अपने पुनः प्रवेश करने के किसी अधिकार को छोड दिया हो उक्त वन भूमि मे पुनः प्रवेश कर सकता है और पट्टेदार तथा उसके समस्त अधिकारियों को वहां से निकाल सकता है और तब यह गैर वानिकी प्रयोग हेतु पट्टे पर हस्तान्तरित वनभूमि का पट्टा बिल्कुल निरस्त हो जायेगी तथा उक्त वनभूमि पर निर्मित निर्माणों को हटाने अथवा उसके सम्बन्ध में प्रतिकर पाने के पट्टेदार के समस्त अधिकार अपहृत हो जायेगें।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

प्रतिलिपि सत्यापित
24.6.2023
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ0 प्र0 पा0 ट्रा0 का0 लि0
गाजीपुर

Executive Engineer
Electricity Transmission Division-I
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
Varanasi

Scanned with CamScanner

यह भी प्रतिबन्ध है कि [illegible] अधिक [illegible] समय किन्तु इस विलेख के अधीन समस्त धनराशि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रमाण-पत्र पर जो अंतिम, निश्चायक और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा पट्टेदार से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करे लें।

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यदि गैर वानिकी प्रयोग हेतु पट्टे पर हस्तान्तरित उक्त वनभूमि की पट्टादाता को किसी समय अपने कार्य के लिये आवश्यकता होगी तो उसको यह अधिकार होगा कि पट्टेदार को उक्त वनभूमि पर उस समय निर्मित किसी निर्माण को हटाने की एक माह की लिखित नोटिस दें और यह भी उक्त नोटिस के पट्टेदार द्वारा प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् उक्त अवधि के समाप्त होने पर दो मास के भीतर पट्टदाता उक्त वनभूमि पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर ले किन्तु शर्त यह है कि पट्टादाता उक्त वनभूमि पर निर्मित पट्टेदार द्वारा बनाये गये किसी निर्माण को क्रय करना चाहें तो पट्टेदार को उस निर्माण के बदले मे ऐसी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा जो राज्य सरकार के वन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अवधारित की जाये।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसी समस्त कर, दर तथा अन्य परिव्ययों का भुगतान करेगा जो पट्टे पर हस्तान्तारित वनभूमि के सम्बन्ध में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय है अथवा भविष्य मे देय होगें।

II – और इस विलेख के दोनो पक्ष करार करते है कि:

(क)– उक्त वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग के बाद भी वनभूमि बनी रहेगी एंव उसके वर्तमान वैधानिक स्तर मे कोई परिवर्तन नही होगा।

(ख)– इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध मे या उसके विषय पर यदि कोई भी विवाद मतभेद अथवा प्रश्न दोनो पक्षो से या उसके किसी [illegible] मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वन [illegible] होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

(ग)– पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि इस विलेख के अधीन देय समस्त धनराशि को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वन विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रमाण पत्र पर जो अन्तिम निश्चायक तथा पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा भू-राजस्व के बकाया के रूप मे पट्टेदार से वसूल कर लें।

(घ)– इस विलेख के सम्बन्ध मे देय स्टाम्प शुल्क एव रजिस्ट्रेशन शुल्क का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।

(ड)– पट्टेदार को उक्त वनभूमि किसी अन्य को हस्तान्तरित करने का अधिकार नही होगा।

(च)– इससे पूर्व प्रयुक्त शब्द पट्टादाता और पट्टेदार के सम्बन्ध मे जब तक उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो पट्टादाता की दशा मे उसके पद के उत्तराधिकारियों तथा पट्टेदार की दशा मे उसके उत्तराधिकारियों का अन्तर्भाव निहित है।

(छ)– उक्त वनभूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एव खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार रहेगा।

प्रतिलिपि सत्यापित
24.6.2023

[illegible]
प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible]

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ० प्र० पा० ट्रा० का० लि०
गाजीपुर

Executive Engineer
Electricity Transmission Division-I
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
[illegible]

Scanned with CamScanner

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम/वन ब्लाक का नाम	खसरा/कम्पार्टमेंट नम्बर	क्षेत्रफल (हे0 में)
चोपन	2,3	
ओबरा		19.968

इस विलेख के साक्ष्य मे श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से श्री ....(मुख्य अरण्यपाल) मुख्य वन सरक्षक जनपद..............................ने तथा पट्टेदार की ओर से उनके द्वारा अधिकृत श्री सतीश कुमार सिंह ने नीचे हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे पदनाम दिया हुआ हैं।

हस्ताक्षर..............................

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

हस्ताक्षर.........

24.7.2000

Executive Engineer
Electricity Transmission Division-I
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
(एस0के0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत पारेषण खण्ड द्वितीय वाराणसी
उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन 14–अशोक मार्ग लखनऊ

श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से एंव उनके द्वारा अधिकृत

पट्टेदार की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत

साक्षीगण–

1– पता–

2– पता–

प्रतिलिपि सत्यापित

24.6.2023

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ0 प्र0 पा0 ट्रा0 का0 लि0
गाजीपुर

Scanned with CamScanner

पट्टा विलेख

यह पट्टा सन् 1999 के अक्टूबर माह के 1 वे दिन तद्नुसार शक संवत — .... के मास के ....दिन को श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (जिनको आगे चलकर 'पट्टादाता' कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा मेसर्स उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रान्सेमिशन कारपोरेशन लि0) पंजीकृत कार्यालय उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 शक्ति भवन 14 अशोक मार्ग लखनऊ उ0प्र0 226001 है. (जिसे आगे चल कर पट्टेदार कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य मे लिखा गया।

चूंकि भारत सरकार/राज्य सरकार के आदेश संख्या जी.आई. 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक -01 अक्टूबर 1999 के द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या 8B/04/1692/98/FC दिनांक- 08.03.1999 मे निहित शर्तो के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग, जिला सोनभद्र मे पट्टेदाता को 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 19.968 हे0 उक्त वन भूमि हस्तान्तरित करने एवं गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति दी है।

और चूंकि पट्टादाता अपने पत्र संख्या जी.आई. 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक -01 अक्टूबर 1999 के द्वारा उक्त प्रयोग हेतु 20 वर्षो के लिए दिनांक .... को पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था (जिसको एव तदपश्चात मूल पट्टा विलेख कहा गया है)

और चुकि पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर इसमें उल्लिखित अनुसूची मे वर्णित 19.968 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि को शासनादेश संख्या जी.आई. 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक - 01 अक्टूबर 1999 के अनुसार पट्टेदार के नाम आगे अभिव्यक्त अधिकारो, निर्बन्धनो एवं विभिन्न प्रसविदाओं तथा अनुबंधो के अधीन पट्टेदार को 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु (जिसे एतद् पश्चात 'उक्त प्रयोजन' कहा गया है) 20 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर पट्टेदार को गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तान्तरित करने के लिए सहमत हुये है।

और चूंकि पट्टादाता अपने पत्र संख्या जी.आई. 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक - 01 अक्टूबर 1999 (जिसे एतदपश्चात् 'उक्त शासनादेश' कहा गया है) द्वारा पट्टाविलेख की अनुसूची मे उल्लिखित वनभूमि को 20 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तान्तरित करने के लिये एतदपश्चात अभिव्यक्त अधिकारो, निबन्धो एवं प्रसविदाओ के अधीन सहमत हुए है।

और चूंकि पट्टादाता द्वारा इस पट्टा विलेख को निष्पादित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या. जी.आई. 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक - 01 अक्टूबर 1999 जारी किया है।

अतः उत्तर प्रदेश मे अपनी प्रवृति के सम्बन्ध मे ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट 1882 तथा वन संरक्षण अधिनियम समय समय पर यथा संशोधित के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि रू0 1855522.40 (रूपया अट्ठारह लाख पचपन हजार पांच सौ बाईस एवं चालिस पैसे) मात्र के स्थान पर 19.968 हे0 गैर वन भूमि जनपद सोनभद्र मे तथा उक्त गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 855968.25 (रू0 आठ लाख पचपन हजार नौ सौ अड़सठ एवं पच्चीस पैसे मात्र) चेक सं0 751375 दिनांक 23.11.1998 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कैमुर वन्यजीव प्रभाग मिर्जापुर जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतदद्वारा स्वीकार करता है तथा आगे आरक्षित भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट की प्राप्ति के फलस्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गई प्रसविदाओ को ध्यान मे रखकर पट्टादाता एतदद्वारा 19.968 हे0 वन भूमि उसकी सीमाओ सहित जिसका विवरण इससे सम्बद्ध अनुसूची मे दिया हुआ है तथा जो स्पष्टीकरण के लिये इस पट्टा विलेख से संलग्न मानचित्र मे हरा रंग से दर्शा दिया गया है (जिसे आगे 'वनभूमि' कहा जायेगा)

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

प्रतिलिपि सत्यापित।
24.6.2023
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ0 प्र0 पा0 ट्रा0 का0 लि0

Executive Engineer
Electricity Transmission Division-I,
U.P. Power Transmission Corporation Ltd

सन् 2020 के जुलाई माह के 24 वें दिन से 20 वर्ष की
अवधि के लिये पट्टेदार को पट्टे पर गैर वानिकी प्रयोग के लिये हस्तान्तरित करते है। इस आधिपत्य के उपलक्ष में 1999 से 2019 उक्त अवधि के लिये पट्टेदार समस्त कटौतियो को छोड़कर रूपया 185552.24(रू0–एक लाख पच्चासी हजार पाँच सौ बावन एव चौबिस पैसे) मात्र का वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन अथवा इसके पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ओबरा को भुगतान करेगा। उल्लेखनीय यह है कि पट्टेदार द्वारा एक वर्ष का वार्षिक किराया रूपया 185552.24(रू0–एक लाख पच्चासी हजार पाँच सौ बावन एव चौबिस पैसे) मात्र अग्रिम के रूप मे चेक संख्या 778319 दिनांक 30.11.1999 और चेक संख्या 763378 दिनाक 07.08.2000 को प्रभागीय वनाधिकारी वानिकी प्रभाग, ओबरा के कार्यालय मे जमा कर दिया गया है।

I – अतः पट्टेदार पट्टदाता से निम्न प्रसंविदा करता है:–

1. प्रश्नगत हस्तान्तरित वनभूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही होगा।
2. हस्तान्तरित की जाने वाली वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि पर प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।
3. वन विभाग के पक्ष मे अमलदरामद की गयी गैरवनभूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तरगत सरक्षित/आरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
4. वनभूमि पर पारेषण लाईन की अधिकतम चौड़ाई 52 मीटर होगी।
5. [I] पारेषण लाईन मे तारो मे खिंचाव उत्पन्न करने वाले तारो /फेज के प्रत्येक कण्डक्टर के नीचे 3 मीटर चौड़ाई मे वन भूमि को साफ करने की अनुमति होगी ऐसी पट्टियों पर स्थिति पेड़ो को काटा जा सकता है किन्तु कार्य समाप्त होने पर ऐसे स्थानों पर पुनर्वनीकरण की अनुमति दी [illegible] पातन/शाखा छटाई का कार्य [illegible] की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। पारेषण लाईन के रखरखाव हेतु एक बाहरी पट्टी रिक्त रखी जायेगी।
   [II] पारेषण लाईन की फेज चौड़ाई मे अनुरक्षण के समय विद्युत धाओ से बचने के लिए पेड़ो और कण्डक्टर के बीच कम से कम 5.5 मीटर का अन्तराल रखा जायेगा ताकि पारेषण लाईन का रखरखाव न्यूनतम रहे। उक्त हेतु आवश्यकतानुसार वृक्षो का पातन/शाखा छटायी किया जायेगा।
   [III] पर्वतीय क्षत्रो मे पारेषण लाईन के निर्माण के सम्बन्ध मे वृक्षो एव लाईन के बीच पर्याप्त दुरी होने पर वृक्षों का पातन किसी भी हाल मे नही किया जायेगा।
6. वनक्षेत्र में कार्य करने वाले मजदुरों द्वारा किसी भी दशा में शिविर आदि नही लगाया जायेगा एंव मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वृक्षों को हानि न पहुँचाये इसलिए उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) उन्हे ईंधन की लकडी तथा ईंधन सामाग्री उपलब्ध करायेगा।
7. वनभूमि का उपयोग प्रस्ताव मे प्रस्तावित प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।
8. वनों एव सीमा के संरक्षण एव सवर्धन हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा समय –समय पर लगाई जाने वाली शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रतिलिपि सत्यापित
24.6.2023

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
सोनभद्र

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ0 प्र0 पा0 ट्रा0 का0 लि0
गाजीपुर

Executive Engineer
Electricity Transmission Division-I
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
Varanasi

9. उ०प्र० रा० विद्युत परिषद (वर्तमान में उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०) के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार एवं उनके नियंत्रणाधीन या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को हानि नही पहुँचायेगें और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर उ०प्र० रा०वि०प० (वर्तमान में उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०) द्वारा देय होगा।

10. उक्त वन भूमि उ०प्र० रा० वि० परिषद (वर्तमान में उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०) के उपयोग मे लीज अवधि के भीतर तब तक बनी रहेगी जब तक उ०प्र० रा० वि० प० (वर्तमान मे उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०) को उसकी आवश्यकता रहेगी, यदि उ०प्र० रा० वि० परिषद (वर्तमान मे उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०) को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो उ०प्र० रा० वि० परिषद (वर्तमान में उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०)के लिए आवश्यक न रहे वन विभाग उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वापस प्राप्त हो जायेगी।

11. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत भूमि का निरिक्षण करने का अधिकार होगा।

12. चूंकि उ०प्र० रा० वि० परिषद (वर्तमान मे उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०) द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 19.968 हे० गैरवनभूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है अतः उनसे वन भूमि का मुल्य (प्रीमियम) नही लिया जायगा, अपितु वर्तमान बाजार दर पर वनभूमि का मूल्य (प्रीमियम) जिलाधिकारी से निश्चित कराकर मूल्य का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट वनभूमि हस्तान्तरण से पूर्व लिया जायेगा।

13. उ०प्र० रा० वि०प० (वर्तमान मे उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०) द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य समान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुये पट्टा विलेख का आलेख प्रस्तुत किया जायेगा जिसे शासकीय हस्तान्तरण से विधीक्षित कराया जायेगा । ऐसे प्रत्येक पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय कन्वेयंसिंग प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या 198/7-जी०सी० 89-3-89, दिनाक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक "0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें 01 न्याय प्रशासन 501-सेवायें और सेवा फीस -01- की गई सेवाओं के लिए भुगतानो की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी मे जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

किन्तु सदा प्रतिबन्ध यह कि यह विलेख इस शर्त पर निष्पादित किया जाता है कि अगर और जब कभी उपर्युक्त किराये अथवा उसके किसी निश्चित भाग को निश्चित तिथि के पश्चात् एक मास तक भुगतान से होगा, चाहे वह विधिक मांगा गया हो या न मंगा गया हो अथवा यदि पट्टे मे वर्णित प्रसंविदाओं में से किसी एक को अथवा अधिक को पट्टेदार भंग करेगा अथवा उसका पालन न करेगा, तब और ऐसे किसी दशा मे पट्टादाता भले ही अपने पुनः प्रवेश करने के किसी अधिकार को छोड दिया हो उक्त वन भूमि मे पुनः प्रवेश कर सकता है और पट्टेदार तथा उसके समस्त अधिकारियों को वहां से निकाल सकता है और तब यह गैर वानिकी प्रयोग हेतु पट्टे पर हस्तान्तरित वनभूमि का पट्टा बिल्कुल निरस्त हो जायेगी तथा उक्त वनभूमि पर निर्मित निर्माणों को हटाने अथवा उसके सम्बन्ध में प्रतिकर पाने के पट्टेदार के समस्त अधिकार अपहृत हो जायेगें।

प्रतिलिपि सत्यापित

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

14.6.2023
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ० प्र० पा० ट्रा० का० लि०

14.7.2023
Executive Engineer
Electricity Transmission Division-II
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
Varanasi

यह भी प्रतिबन्ध है कि [illegible] इस विलेख के अधीन समस्त धनराशि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव [illegible] शासन के प्रमाण-पत्र पर जो अंतिम, निश्चायक और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा, पट्टेदार से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लें।

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यदि गैर वानिकी प्रयोग हेतु पट्टे पर हस्तान्तरित उक्त वनभूमि की पट्टादाता को किसी समय अपने कार्य के लिये आवश्यकता होगी तो उसको यह अधिकार होगा कि पट्टेदार को उक्त वनभूमि पर उस समय निर्मित किसी निर्माण को हटाने की एक माह की लिखित नोटिस दें और यह भी उक्त नोटिस के पट्टेदार द्वारा प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् उक्त अवधि के समाप्त होने पर दो मास के भीतर पट्टादाता उक्त वनभूमि पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर ले किन्तु शर्त यह है कि पट्टादाता उक्त वनभूमि पर निर्मित पट्टेदार द्वारा बनाये गये किसी निर्माण को क्रय करना चाहें तो पट्टेदार को उस निर्माण के बदले मे ऐसी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा जो राज्य सरकार के वन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अवधारित की जाये।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसी समस्त कर, दर तथा अन्य परिव्ययों का भुगतान करेगा जो पट्टे पर हस्तान्तारित वनभूमि के सम्बन्ध में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय है अथवा भविष्य मे देय होंगे।

II – और इस विलेख के दोनो पक्ष करार करते है कि:

(क)– उक्त वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग के बाद भी वनभूमि बनी रहेगी एंव उसके वर्तमान वैधानिक स्तर मे कोई परिवर्तन नही होगा।

(ख)– इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध मे या उसके विषय पर यदि कोई भी विवाद मतभेद अथवा प्रश्न दोनो पक्षो से या उसके किसी [illegible] मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव [illegible] होगा तथा इस विलेख के दोनो पक्ष उससे बाध्य होंगे।

(ग)– पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि इस विलेख के अधीन देय समस्त धनराशि को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वन विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रामाण पत्र पर जो अन्तिम निश्चायक तथा पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा भू-राजस्व के बकाया के रूप मे पट्टेदार से वसूल कर लें।

(घ)– इस विलेख के सम्बन्ध मे देय स्टाम्प शुल्क एंव रजिस्ट्रेशन शुल्क का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।

(ङ)– पट्टेदार को उक्त वनभूमि किसी अन्य को हस्तान्तरित करने का अधिकार नही होगा।

(च)– इससे पूर्व प्रयुक्त शब्द पट्टादाता और पट्टेदार के सम्बन्ध में जब तक उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो पट्टादाता की दशा मे उसके पद के उत्तराधिकारियों तथा पट्टेदार की दशा में उसके उत्तराधिकारियों का अर्न्तभाव निहित है।

(छ)– उक्त वनभूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एंव खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार रहेगा।

प्रतिलिपि सत्यापित
24.6.2023

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
सोनभद्र

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ० प्र० पा० ट्रा० का० लि०
गाजीपुर

Executive Engineer
Electricity Transmission Division-I
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
Varanasi

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम/वन ब्लाक का नाम	खसरा/कम्पार्टमेंट नंम्बर	क्षेत्रफल (हे० में)
चोपन	2,3	19.968
ओबरा		

इस विलेख के साक्ष्य मे श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से श्री ....(मुख्य अरण्यपाल) मुख्य वन सरक्षक जनपद..............................ने तथा पट्टेदार की ओर से उनके द्वारा अधिकृत श्री सतीश कुमार सिंह ने नीचे हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे पदनाम दिया हुआ हैं।

हस्ताक्षर..

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

हस्ताक्षर..........
24.7.2010
Executive Engineer
Electricity Transmission Division-I
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
अधिशासी अभियन्ता (एस०आर०डी०)
विद्युत प्रेषण खण्ड-प्रथम वाराणसी
उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन 14–अशोक मार्ग लखनऊ

श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से एव उनके द्वारा अधिकृत

पट्टेदार की ओर से एव उसके द्वारा अधिकृत

साक्षीगण–

1– पता–

2– पता–

प्रतिलिपि सत्यापित
24.6.2023
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ० प्र० पा० ट्रा० का० लि०
गाजीपुर

पट्टा विलेख

यह पट्टा सन् 1999 के अक्टूबर माह के 1 वे दिन तदनुसार शक संवत — .... के मास के .... दिन को श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (जिनको आगे चलकर 'पट्टादाता' कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा मेसर्स उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) पंजीकृत कार्यालय उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 शक्ति भवन 14 अशोक मार्ग लखनऊ उ0प्र0 226001 है. (जिसे आगे चल कर पट्टेदार' कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य मे लिखा गया।

चूकि भारत सरकार/राज्य सरकार के आदेश संख्या जी.आई. 322/14-2-99-700(2) 97 दिनाक -01 अक्टूबर 1999 के द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या 8B/04/1692/98/FC दिनाक- 08.03.1999 मे निहित शर्तो के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग, जिला सोनभद्र मे पट्टेदाता को 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 19.968 हे0 उक्त वन भूमि हस्तान्तरित करने एवं गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति दी है।

और चूकि पटटादाता अपने पत्र संख्या जी.आई. 322/14-2-99-700(2) 97 दिनाक -01 अक्टूबर 1999 के द्वारा उक्त प्रयोग हेतु 20 वर्षो के लिए दिनांक .... को पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था (जिसको एव तदपश्चात मूल पट्टा विलेख कहा गया है)

और चुकि पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर इसमे उल्लिखित अनुसूची मे वर्णित 19.968 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि को शासनादेश संख्या जी.आई. 322/14-2-99-700(2) 97 दिनाक - 01 अक्टूबर 1999 के अनुसार पट्टेदार के नाम आगे अभिव्यक्त अधिकारो, निर्बन्धनो एव विनि... प्रसविदाओं तथा अनुबधो के अधीन पट्टेदार को 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु (जिसे एतद पश्चात 'उक्त प्रयोजन' कहा गया है) 20 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर पट्टेदार को गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तान्तरित करने के लिए सहमत हुये है।

और चूकि पट्टादाता अपने पत्र संख्या जी.आई. 322/14-2-99-700(2) 97 दिनाक - 01 अक्टूबर 1999 (जिसे एतदपश्चात् 'उक्त शासनादेश' कहा गया है) द्वारा पट्टाविलेख की अनुसूची मे उल्लिखित वनभूमि को 20 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तानारित करने के लिये एतदपश्चात अभिव्यक्त अधिकारो, निबन्धों एव प्रसविदाओं के अधीन सहमत हुए है।

और चूकि पट्टादाता द्वारा इस पट्टा विलेख को निष्पादित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या. जी.आई. 322/14-2-99-700(2) 97 दिनाक - 01 अक्टूबर 1999 जारी किया है।

अतः उत्तर प्रदेश मे अपनी प्रवृति के सम्बन्ध मे ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी एक्ट 1882 सपठित वन संरक्षण अधिनियम समय-समय पर यथा संशोधित के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि रू0 1855522.40 (रूपया अट्ठारह लाख पचपन हजार पॉच सौ बाईस एवं चालिस पैसे) मात्र के स्थान पर 19.968 हे0 गैर वन भूमि जनपद सोनभद्र मे तथा उक्त गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 855968.25 (रू0 आठ लाख पचपन हजार नौ सौ अड़सठ एव पच्चीस पैसे मात्र) चेक सं0 751375 दिनांक 23.11.1998 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कैमुर वन्यजीव प्रभाग मिर्जापुर जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतदद्वारा स्वीकार करता है तथा आगे आरक्षित भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट की प्राप्ति के फलस्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गई प्रसविदाओं को ध्यान मे रखकर पट्टादाता एतदद्वारा 19.968 हे0 वन भूमि उसकी सीमाओ सहित जिसका विवरण इससे सम्बद्ध अनुसूची मे दिया हुआ है तथा जो स्पष्टीकरण के लिये इस पट्टा विलेख से संलग्न मानचित्र मे हरा रंग से दर्शा दिया गया है (जिसे आगे 'वनभूमि' कहा जायेगा)

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

प्रतिलिपि सत्यापित।
Sd/-
24.6.2023
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ0 पा0 ट्रा0 का0 लि0

Executive Engineer
Electricity Transmission Division-I
U.P. Power Transmission Corporation Ltd.

सन् 2020 के जुलाई माह के 24 वें दिन से 20 वर्ष की अवधि के लिये पट्टेदार को पट्टे पर गैर वानिकी प्रयोग के लिये हस्तान्तरित करते है। इस आधिपत्य के उपलक्ष में 1999 से 2019 उक्त अवधि के लिये पट्टेदार समस्त कटौतियो को छोड़कर रूपया 185552.24(रू0-एक लाख पच्चासी हजार पॅाच सौ बावन एवं चौबिस पैसे) मात्र का वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन अथवा इसके पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ओबरा को भुगतान करेगा। उल्लेखनीय यह है कि पट्टेदार द्वारा एक वर्ष का वार्षिक किराया रूपया 185552.24(रू0-एक लाख पच्चासी हजार पॅाच सौ बावन एवं चौबिस पैसे) मात्र अग्रिम के रूप मे चेक संख्या 778319 दिनांक 30.11.1999 और चेक संख्या 763378 दिनाक 07.08.2000 को प्रभागीय वनाधिकारी वानिकी प्रभाग, ओबरा के कार्यालय मे जमा कर दिया गया है।

I – अतः पट्टेदार पट्टदाता से निम्न प्रसंविदा करता है:-

1. प्रश्नगत हस्तान्तरित वनभूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही होगा।
2. हस्तान्तरित की जाने वाली वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि पर प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।
3. वन विभाग के पक्ष मे अमलदरामद की गयी गैरवनभूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तरगत संरक्षित/आरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
4. वनभूमि पर पारेषण लाईन की अधिकतम चौड़ाई 52 मीटर होगी।
5. [I] पारेषण लाईन मे तारों मे खिंचाव [illegible] करने वाले तारों /फेज के प्रत्येक कण्डक्टर के नीचे 3 मीटर चौड़ाई में वन भूमि का [illegible] करने की अनुमति होगी ऐसी पट्टियों पर स्थिति पेड़ो को काटा जा सकता है [illegible] कार्य समाप्त होने पर ऐसे स्थानों पर पुनर्वनीकरण की अनुमति [illegible] पातन/शाखा छटाँई का कार्य [illegible] पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। पारेषण लाईन के रखरखाव हेतु एक बाहरी पट्टी रिक्त रखी जायेगी।
[II] पारेषण लाईन की फेज चौड़ाई मे अनुरक्षण के समय विद्युत बाधा से बचने के लिए पेड़ो और कण्डक्टर के बीच कम से कम 5.5 मीटर का अन्तराल रखा जायेगा ताकि पारेषण लाईन का रखरखाव न्यूनतम रहे। उक्त हेतु आवश्यकतानुसार वृक्षो का पातन/शाखा छटायी किया जायेगा।
[III] पर्वतीय क्षत्रों मे पारेषण लाईन के निर्माण के सम्बन्ध में वृक्षो एव लाईन के बीच पर्याप्त दुरी होने पर वृक्षों का पातन किसी भी हाल मे नही किया जायेगा।
6. वनक्षेत्र मे कार्य करने वाले मजदुरों द्वारा किसी भी दशा में शिविर आदि नही लगाया जायेगा एंव मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वृक्षों को हानि न पहुँचाये इसलिए उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) उन्हे ईंधन की लकडी तथा ईंधन सामाग्री उपलब्ध करायेगा।
7. वनभूमि का उपयोग प्रस्ताव मे प्रस्तावित प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु नही किया जयेगा।
8. वनों एवं सीमा के संक्षरण एव संवर्धन हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा समय समय पर लगाई जाने वाली शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
सोनभद्र

प्रतिलिपि सत्यापित
24.6.2023
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ० प्र० पा० ट्रा० का० लि०
गाजीपुर

Executive Engineer
Electricity Transmission Division-I
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
Varanasi

9. उ0प्र0 रा0 विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार एवं उनके नियंत्रणाधीन या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को हानि नही पहुँचायेगें और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर उ0प्र0 रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) द्वारा देय होगा।

10. उक्त वन भूमि उ0प्र0 रा0 वि0 परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) के उपयोग मे लीज अवधि के भीतर तब तक बनी रहेगी जब तक उ0प्र0 रा0 वि0 प0 (वर्तमान मे उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) को उसकी आवश्यकता रहेगी, यदि उ0प्र0 रा0 वि0 परिषद (वर्तमान मे उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो उ0प्र0 रा0 वि0 परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0)के लिए आवश्यक न रहे वन विभाग उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वापस प्राप्त हो जायेगी।

11. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी उसके अभिकर्ताओ को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत भूमि का निरिक्षण करने का अधिकार होगा।

12. चूंकि उ0प्र0 रा0 वि0 परिषद (वर्तमान मे उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 19.968 हे0 गैरवनभूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है अतः उनसे वन भूमि का मुल्य (प्रीमियम) नही लिया जायगा, अपितु वर्तमान बाजार दर पर वनभूमि का मूल्य (प्रिमियम) जिलाधिकारी से निर्धारित कराकर मूल्य का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट वनभूमि हस्तान्तरण से पूर्व लिया जायेगा।

13. उ0प्र0 रा0 वि0प0 (वर्तमान मे उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य समान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुये पट्टा विलेख का आलेख प्रस्तुत किया जायेगा जिसे शासकीय हस्तान्तरण से विधीक्षित कराया जायेगा। ऐसे प्रत्येक पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय कन्वेयंसिंग प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या 198/7-जी0सी0 89-3-89, दिनाक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाये 01 न्याय प्रशासन-501-सेवायें और सेवा फीस -01- की गई सेवाओं के लिए भुगतानो की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

किन्तु सदा प्रतिबन्ध यह कि यह विलेख इस शर्त पर निष्पादित किया जाता है कि अगर और जब कभी उपर्युक्त किराये अथवा उसके किसी निश्चित भाग को निश्चित तिथि के पश्चात् एक मास तक भुगतान से होगा, चाहे वह विधिक मांगा गया हो या न मगा गया हो अथवा यदि पट्टे मे वर्णित प्रसविदाओं में से किसी एक को अथवा अधिक को पट्टेदार भंग करेगा अथवा उसका पालन न करेगा, तब और ऐसे किसी दशा मे पट्टादाता भले ही अपने पुनः प्रवेश करने के किसी अधिकार को छोड दिया हो उक्त वन भूमि मे पुनः प्रवेश कर सकता है और पट्टेदार तथा उसके समस्त अधिकारियों को वहां से निकाल सकता है और तब यह गैर वानिकी प्रयोग हेतु पट्टे पर हस्तान्तरित वनभूमि का पट्टा बिल्कुल निरस्त हो जायेगी तथा उक्त वनभूमि पर निर्मित निर्माणो को हटाने अथवा उसके सम्बन्ध में प्रतिकर पाने के पट्टेदार के समस्त अधिकार अपहृत हो जायेगें।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

प्रतिलिपि सत्यापित
24.6.2023
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ0 प्र0 पा0 ट्रां0 का0 लि0

Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
Varanasi

[illegible] अधिकार होगा कि वह इस विलेख के अधीन समस्त धनराशि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव [illegible] उत्तर प्रदेश शासन के प्रमाण-पत्र पर जो अंतिम, निश्चायक और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा पट्टेदार से भू-राजस्व के बकाये के रूप मे वसूल कर लें।

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यदि गैर वानिकी प्रयोग हेतु पट्टे पर हस्तान्तरित उक्त वनभूमि की पट्टादाता को किसी समय अपने कार्य के लिये आवश्यकता होगी तो उसको यह अधिकार होगा कि पट्टेदार को उक्त वनभूमि पर उस समय निर्मित किसी निर्माण को हटाने की एक माह की लिखित नोटिस दें और यह भी उक्त नोटिस के पट्टेदार द्वारा प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् उक्त अवधि के समाप्त होने पर दो मास के भीतर पट्टदाता उक्त वनभूमि पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर ले किन्तु शर्त यह है कि पट्टादाता उक्त वनभूमि पर निर्मित पट्टेदार द्वारा बनाये गये किसी निर्माण को क्रय करना चाहें तो पट्टेदार को उस निर्माण के बदले मे ऐसी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा जो राज्य सरकार के वन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अवधारित की जाये।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसी समस्त कर, दर तथा अन्य परिव्ययों का भुगतान करेगा जो पट्टे पर हस्तान्तारित वनभूमि के सम्बन्ध मे पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय है अथवा भविष्य मे देय होंगे।

II – और इस विलेख के दोनो पक्ष करार करते है कि:

(क)– उक्त वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग के बाद भी वनभूमि बनी रहेगी एंव उसके वर्तमान वैधानिक स्तर मे कोई परिवर्तन नही होगा।

(ख)– इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध मे या उसके विषय पर यदि कोई भी विवाद मतभेद अथवा प्रश्न दोनो पक्षो से या उसके किसी [illegible] मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव [illegible] होगा तथा इस विलेख के दोनो पक्ष उससे बाध्य होंगे।

(ग)– पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि इस विलेख के अधीन देय समस्त धनराशि को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वन विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रामाण पत्र पर जो अन्तिम निश्चायक तथा पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा भू-राजस्व के बकाया के रूप मे पट्टेदार से वसूल कर लें।

(घ)– इस विलेख के सम्बन्ध मे देय स्टाम्प शुल्क एव रजिस्ट्रेशन शुल्क का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।

(ङ)– पट्टेदार को उक्त वनभूमि किसी अन्य को हस्तान्तरित करने का अधिकार नही होगा।

(च)– इससे पूर्व प्रयुक्त शब्द पट्टादाता और पट्टेदार के सम्बन्ध में जब तक उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो पट्टादाता की दशा मे उसके पद के उत्तराधिकारियों तथा पट्टेदार की दशा मे उसके उत्तराधिकारियों का अर्न्तभाव निहित है।

(छ)– उक्त वनभूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एव खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार रहेगा।

प्रतिलिपि सत्यापित
24.6.2023

प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible] वन प्रभाग
[illegible]

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत पारेषण खण्ड
उ० प्र० पा० ट्रा० का० लि०
गाजीपुर

Executive Engineer
Electricity Transmission Division-I
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
Varanasi

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम/वन ब्लाक का नाम	खसरा/कम्पार्टमेंट नम्बर	क्षेत्रफल (हे0 में)
चोपन	2,3	
ओबरा		19.968

इस विलेख के साक्ष्य मे श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से श्री ....(मुख्य अरण्यपाल) मुख्य वन सरक्षक जनपद.............................ने तथा पट्टेदार की ओर से उनके द्वारा अधिकृत श्री सतीश कुमार सिंह ने नीचे हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे पदनाम दिया हुआ हैं।

हस्ताक्षर..............................

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

हस्ताक्षर..........

24-7-2010

Executive Engineer
Electricity Transmission Division-I
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
(एस0डी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत पारेषण खण्ड-प्रथम वाराणसी
उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन 14-अशोक मार्ग लखनऊ

श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से एवं उनके द्वारा अधिकृत

पट्टेदार की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत

साक्षीगण-

1- पता-

2- पता-

प्रतिलिपि सत्यापित

24-6-2023

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ0 प्र0 पा0 ट्रा0 का0 लि0
गाजीपुर